इकाई 30 आदिवासी/मूलवासी आन्दोलन

संरचना

30.1 प्रस्तावना

30.2 मूलवासी लोग कौन हैं?

30.3 मूलवासी आन्दोलनः प्रारंभ/शुरुआत

30.4 मूलवासी आन्दोलनों का विस्तार

- 30.4.1 मूलवासी आन्दोलनों के विस्तार के लिए परिस्थितियाँ
- 30.4.2 कनाडा
- 30.4.3 ऑस्ट्रेलिया
- 30.4.4 लेटिन अमेरिका
- 30.4.5 संयुक्त राज्य अमेरिका

30.5 मूलवासी आंदोलनों के मुख्य मुद्दे

30.6 सरकारी प्रतिक्रियाएँ

30.7 सारांश

30.8 अभ्यास प्रश्न

30.1 प्रस्तावना

मूलवासियों को कभी भी अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक नहीं माना गया है। उन्हें या तो राज्यों में आरक्षित राज्य क्षेत्रों तक रखा गया है या दुर्गम कठिन क्षेत्रों में परिरूद्ध किया गया है और सरकार द्वारा अपनाई गई दमनकारी नीतियों से उन्हें विलोप होने के लिए उनके भाग्य पर छोड़ दिया गया है, परन्तु अब नई अन्तर्राष्ट्रीय सोच है जो उनकी अनूठी जीवन पद्धति को स्वीकारती है। प्रमुख अभिकर्त्ताओं के रूप में मूलवासी के लोगों का आविर्भाव न केवल राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। उन्हें अब अधिक समय तक ऐतिहासिक परिवर्तन की निष्क्रिय वस्तुओं के रूप में नहीं समझा जा सकता है परन्तु इतिहास के गतिशील विषय के रूप में देखा जाना चाहिए क्योंकि वे अपनी नियति का निर्माण स्वयं करने में सक्रिय रूप से शामिल हैं। जो राज्य अपने संजातीय रूप से भिन्न भिन्न आबादी की माँगों और आवश्यकताओं के तुष्ट करने और पूरा करने के लिए बहुसंस्कृतिवाद जैसी नीतियाँ अपना रहे हैं, उनसे लगातार यह स्पष्ट हो रहा है कि "मूलवासियों" की माँगों और आवश्यकताएँ संजातीय समूहों से भिन्न हैं। इस प्रकार "मूलवासी संजातीयता" का आविर्भाव एक ऐसी अवधारणा के रूप में हुआ है जो "संजातीयता" से भिन्न है। यहाँ तक कि विश्व व्यापी राजनीति में मूलवासी लोगों की बढ़ती हुई भूमिका और प्रभाव को स्वीकारते हुए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1993 को विश्व के मूलवासी के लोगों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में और 1995 से 2004 के दशक को विश्व के मूलवासी के लोगों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया है। यह देखा गया है कि यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति का उसका अपना इतिहास होता है, उसकी अपनी संस्कृति होती है और प्रत्येक का अपना विशिष्ठ संघर्ष होता है तथा उसकी अपनी सफलताएँ और विफलताएँ होती हैं, विश्व के भिन्न भिन्न भागों से मूलवासी लोग उभयनिष्ठ चेतना उत्पन्न करने के लिए और विकसित करने के लिए एक साथ आए हैं। वास्तव में मूलवासी के लोगों द्वारा संचालित

संगठनों की बहुधा आलोचना की जाती है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सहित अन्तर्राष्ट्रीय मंचों का प्रयोग उन्होंने अपने सामान्य उद्देश्य को बढ़ाने और हिमायत करने के लिए किया है जबकि उन देशों की प्रतिष्ठा को भी क्षति पहुँचाई है जिसमें भौगोलिक दृष्टि से वे रहते हैं। फिर भी, विश्व अब यह स्वीकार कर रहा है कि विगत में सरकार की नीतियों के फलस्वरूप या तो योजना बनाकर या असावधानी से शोषण, विनाश या आत्मसात्करण से आज अनिच्छा से मान्यता तक मूलवासी के लोगों को शासक वर्ग की दया पर रखा गया है।

30.2 मूलवासी लोग कौन हैं?

इस चर्चा के लिए शब्द "मूलवासी लोग" (indigenous people) ऐसे नियत क्षेत्र या प्रदेश के मूलवासियों के वंशजों के लिए प्रयोग किया गया है - जिस पर विदेशियों द्वारा बलपूर्वक कब्जा किया गया, जिन्होंने बाद में शासन की प्रक्रिया बदल दी और मूलवासी के लोगों के विकास में कटौती की। फिर भी, मूलवासी लोग सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं तथा अपने चारों ओर उपस्थित राष्ट्रीय किस्मों से भिन्न प्रथाएँ अपनाए हुए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation – ILO) सम्मेलन 107 में पहली बार मूलवासी (indigenous) शब्द प्रस्तुत किया "जिसमें जनजाति और अर्ध जनजाति आबादी को सामान्य सामाजिक श्रेणी के रूप में माना गया था और आबादी को उस मूलवासी की उप श्रेणी के रूप में माना गया था जो देश की मूलवासी के वंशज थे और बाद में जिन पर उपनिवेश ने अपने अधिकार में कर लिया था।" जून 1989 में स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय 169 ने 'मूलवासी' से 'जनजाति' की अवधारणा असम्बद्ध करते हुए यह निर्धारण करने के लिए आधारभूत मानदंड के रूप में आत्म पहचान का संदर्भ शामिल किया कि मूलवासी लोग कौन हैं। इसने यह निर्धारित किया कि राष्ट्रीय सरकारों को ऐसे निर्णय करने में मूलवासी के लोगों की सहभागिता करनी चाहिए जो उन्हें प्रभावित करता है, जो उनके विकास की प्राथमिकताएँ तय करता है, और उस भूमि को वापस दिया जाना चाहिए जिस पर परम्परागत रूप से उनका अधिकार था। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से "मूलवासी" शब्द का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा और स्वयं लोगों द्वारा भी किया गया है। मूलवासी श्रेणी के व्यक्ति होना अल्पसंख्यक जनसमुदाय की अपेक्षा अधिक मनोवैज्ञानिक शक्ति देता है। शासक वर्ग इसे स्वीकार करते हैं, यह "लोग" या "जनसंख्या/जनसमुदाय" जैसे शब्दों के प्रयोग पर मूलवासी जनसंख्या संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यकारी दल (UN Working Group on Indigenous Populations) और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दोनों की बहस में सोदाहरण दिया गया है। जबकि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने दोनो शब्दों का प्रयोग करने का निर्णय किया, कार्यकारी दल "जनसंख्या/जनसमुदाय" शब्द प्रयोग करता है। बहस सुझाती है कि "लोग" की अपेक्षा "जनसंख्या" का प्रयोग करने का कारण संभवतः जिस राज्य में वे स्थित हैं, उस राष्ट्र राज्य के अन्दर आत्म निर्णय और राज क्षेत्रीय स्वतंत्रता के दावे को अस्वीकार करना है।

"मूलवासी" और "देशी" दोनों शब्द चर्चा के विषय अधिक हैं। जबकि "देशी" में बहुतों के लिए उपनिवेशी अर्थ है, बड़े अक्षरों में छापा गया "देशी" उत्तरी अमेरिका में स्वीकार्य वर्गीकरण है, जिसमें संभवतः यह सूचित करना है कि वे राष्ट्र हैं। वास्तव में, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में "पहला राष्ट्र" शब्द बहुधा वैकल्पिक पदनाम के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय रूप में स्वीकार्य शब्द "मूलवासी/देशीय" को तरजीह दी जाती है। नाम जिनसे मूल जाति के लोगों को पुकारा जाता है, वे भी उनके पसंद के नामों के अनुसार बदलते रहते हैं। यूरोप के लैपसों (Lapps) को अब *सामी* (*Saami*) के रूप में जाना जाता है, कनाडा के *एस्कियों* को इन्यूट (*Inuit*) और अफ्रीका के बुशमैन को *सान* (*San*) के नाम से जाना जाता है।

इस पर बल दिया जाना चाहिए कि मूलवासी लोग एक-दूसरे से भिन्न हैं और कि ये भिन्नताएँ राष्ट्रीय सीमाओं पर निर्भर नहीं हैं। यूरोप में निम्नलिखित को मूलवासी जनसमुदाय के रूप में माना जाता है: ब्रिटिश आइसेल्स (Isles) के केल्टिक (Celtic) जनसमुदाय फ्रांस में ब्रिटैनी, और स्पेन में गेलिसिया, फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन के बास्क लोग, ग्रीनलैण्ड, नार्वे, स्वीडन, फिनलैण्ड और पूर्व सोवियत संघ के सामी लोग। एशिया में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन में विभिन्न जनजातियाँ या पर्वतीय लोग और जापान में ऐनू लोग इसके अतिरिक्त, साइबीरिया में कई मूलवासियों के समूह, उनमें से कुछ को इन्सूट लोगों का भाग माना जाता है, अलास्का, कनाडा और पश्चिमी ग्रीन लैण्ड में भी विद्यमान हैं। अफ्रीका में बेरबेर्स और सान को उनके क्षेत्र में मूलवासी लोग माना जा सकता है। अधिकांश एशियाई और अफ्रीकी राज्य अस्वीकार करते हैं कि उनके राज क्षेत्र में कोई मूलवासी के लोग हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश पर पर्याप्त दबाव डाला इससे पहले कि वह चिरगाँव के पहाड़ी लोगों के मुद्दे को हल कर सके। भारत में जनजाति के लोगों या अनुसूचित जनजातियों को "मूलवासी समूह" के क्रोड के रूप में माना जाता है। ओसियाना में फिलिपाइन्स, इंडोनेशिया, बोर्नियो और पपुआ न्यूगिनी में मूलवासी के लोग हैं। साधारणतया ये लोग जंगलों में रहते हैं। ओसियाना में नेटिव हवाइयन भी उपर्युक्त हैं। ऑस्ट्रेलिया में आदिम जाति के लोग हैं और न्यूजीलैण्ड में माओरी लोग हैं। मूलवासी के लोगों का विस्थापन सामान्यतया संजातीय रूप से और सांस्कृतिक रूप से उन भिन्न भिन्न समूहों द्वारा उनके राज्य क्षेत्र के आक्रमण के परिणाम स्वरूप होता है, जो, बाद में, मूलवासी जन समुदाय को विजेताओं के सांस्कृतिक मानकों में बदलते हैं और मूलवासी के लोगों की संस्कृति, पहचान और इतिहास का दमन करते हैं। सामान्यतया उपनिवेशी देश विश्वास करता है कि भौतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से उसकी संस्कृति मूलवासी के लोगों की संस्कृति से अधिक श्रेष्ठ है। अधिकांश मामलों में आक्रमणकर्त्ता राज्य क्षेत्र और समाज पर पर्याप्त नियंत्रण स्थापित कर लेता है तथा मूलवासी के लोगों को विजय की प्रक्रिया में हुए अन्याय को सुधारने के प्रयास में थोपी गई कानूनी प्रणाली अपनाने के लिए बाध्य करते हैं। यह कहना आवश्यक है कि मूलवासी लोग अधिकांश कानूनी अधिकार खो लेते हैं, जब तक संशोधन करने के लिए प्रमुख समाज अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। इस स्वीकृति प्रक्रिया का एक उदाहरण न्यूजीलैण्ड में वैटाँगी ट्रिब्यूनल का निर्माण और संचालन है जो माओरी और यूरोपीय अधिवासियों/उपनिवेशियों के बीच भूमि हक के मामलों को निपटाता है।

30.3 मूलवासी आन्दोलनः प्रारंभ/शुरुआत

यह लगभग 1900 की बात है कि मूलजाति के लोगों ने पहला संजातीय-राजनीतिक पहल की थी। यह अधिकतर, विभिन्न उपनिवेशी शक्तियों की साम्राज्यवादी प्राधिकारियों से अपीलों, याचिकाओं और निवेदनों के रूप में थे। आमतौर पर यह ज्ञात है कि उत्तरी अमैरिका के इंडियनों को उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान सशस्त्र सेनाओं द्वारा कुचला गया था। यद्यपि उत्तरी यूरोप में संघर्ष इतना अधिक खुला नहीं था, हमें ऐसे सामी के दमन के बहुत उदाहरण मिलते हैं, अर्थात् जब लगभग 1850 में उनके धार्मिक-लीस्टेडियन आन्दोलन राज्य गिरजाघर और न्यायालयों की सहायता से दबाया गया था। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक साम्राज्यवाद के चरम बिन्दु पर मूलवासी लोगों के बारे में नीति को निष्ठुरता से पहचाना जाता था, इसे सामाजिक डार्विनवादी और प्रजातिवादी विचारधारा द्वारा उचित सिद्ध ठहराया गया था। और नार्वे में राष्ट्रवादी विचारधारा से इसकी पुष्टि हुई। ऐसी नीतियों के सामने बहुत से मूलवासी के लोगों को कम से कम प्रारंभ में विशुद्धतः प्रतीकात्मक गतिविधियों के लिए अपने

विरोध को सीमित करने के लिए बाध्य होना पड़ा। 1919 में स्थापित लीग ऑफ नेशन्स ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन था, जिसमें कोई भी मूलजाति संबंधी मुद्दे उठाए जाने की संभावना कर सकता था, प्रारंभ करने के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, वूड्रा विल्सन ने प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर स्वयं अपने राजनीतिक नारे के रूप में राज्यों के "आत्म निर्णय" के अधिकार को उठाया। और दूसरा, उस अवधि के दौरान जब लीग प्रभावकारी ढंग से क्रियाशील था, सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्यों में एक था, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण।

पश्चिमी गोलार्द्ध (कनाडा) में 'छः राष्ट्र' (Six Nations) रिजर्व से मूलवासी व्यक्ति चीफ डेस्काहे (Chief Deskaheh), केयूगा (Cayuga) पूर्ण स्वशासन और प्रभुत्ता सम्पन्न राज्य के रूप में *इरोक्वाइस* (*Iroquosis*) लोगों की मान्यता के लिए माँग रखी। लगभग 1920 में मुद्दे की कानूनी लड़ाई और हिन्सात्मक संघर्ष दोनों रूपों में उठे। इरोक्वाइस ने कनाडा की कानूनी प्रणाली से स्वतंत्रता का प्रयास किया। डेस्काहे ने इंग्लैण्ड का दौरा किया और जब वह विफल हुआ, वह नीदरलैण्ड के प्रभारी राजदूत को मिलने वाशिंगटन गया और अठाहरवीं शताब्दी में यूरोप और इरोक्वाइस के बीच हुई शान्ति और मित्रता संधि का स्मरण कराया। लीग ऑफ नेशन्स के महासचिव ने तब 1923 में मामला लिया। लीग ऑफ नेशन्स काउन्सिल की बैठक में ब्रिटिश और कनाडा के सदस्यों ने घोषणा की कि छः राष्ट्रों को पृथक राज्य का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वे कनाडा में निवास कर रहे ब्रिटिश प्रजा की हैसियत से रह रहे हैं।

1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण से उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इससे आशा की किरण दिखाई दी। संजातीय समूह मानव अधिकारों के नए प्रजाति विरोधी आदर्शों पर कार्रवाई करने की निरंतर माँग करते रहे, फलस्वरूप अब इसकी अधिक अनदेखी नहीं की जा सकती थी। कनाडा, और न्यूजीलैण्ड, जैसे देशों में इस पर विशेष बल था जिसने युद्ध के दौरान अपने मूलवासी के लोगों से विशेष सैनिक टुकड़ियाँ तैयार की थी। वास्तव में इनसे 1970 के आसपास संयुक्त राष्ट्र के अंदर मूलवासी के लोगों का प्रश्न और एक पृथक मुद्दे के रूप में उठाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। युद्धोत्तर वर्षों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से ध्रुवीय प्रदेशों तक बाह्य क्षेत्रों में फैले हुए भूमंडलीय औद्योगिक और प्रौद्योगिकी प्रवेश से प्राप्त एक अनुभव भी इसमें सहायक हुआ। प्रारंभ में, मानवीय और कल्याणकारी आधार पर सबसे अधिक स्पष्ट संजातीय समूहों की सहायता की आवश्यकता को ध्यान में रखकर विकास की गति बढ़ाई गई। लीग ऑफ नेशन्स के एक अंग, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने पहले पहल 1920 के दशक में और 1957 में यह कार्य आरंभ किया, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने संकल्प 107 पारित किया, जिसमें विश्व भर में जनजाति और मूलवासी को लोगों को संरक्षण दिया गया।

जैसा कि जनप्रचलित संगठनों, जैसे शेटल एब्सिटेन्स और फ्री चर्च आन्दोलनों ने जो उन्नीसवीं शताब्दी उत्तरार्द्ध के दौरान बने थे, उन्हीं तर्ज पर मूलवासी के लोगों ने भी अधिक नए ढंग में अपना विरोध व्यक्त करना आरंभ किया। यह एक महत्वपूर्ण पूर्व शर्त थी कि मूलवासी के लोग कम से कम कुछ सीमा तक अधिक व्यापक समाज सें उस सीमा तक जोड़े जा रहे थे कि कुछ समूह अस्तित्व में आए जिनमें अंतः दृष्टि थी और नागरिकता के सामान्य मूल्यों के समर्थन की माँग कर सकते थे। यह किंचित विरोधाभास था कि अधिकांश भाग के लिए नए नेतृत्व की भर्ती उन लोगों में सीमित थी जो समग्र रूप से समाज के अभिन्न अंग बन गए थे और जो मिशन स्कूलों और शिक्षक शिक्षा कालेजों से शिक्षा से प्राप्त थे।

30.4 मूलवासी आन्दोलनों का विस्तार

30.4.1 मूलवासी आन्दोलनों के विस्तार के लिए परिस्थितियाँ

मूलवासी आन्दोलनों के विस्तार के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास की किस्म से संबंधित थे। पहला, नाजीवाद के विरुद्ध संघर्ष प्रजातिवाद विरोधी और मानव अधिकार के झंडे के नीचे आरंभ किया गया था। इसलिए ऐसी माँगों की अनदेखी करना कठिन था जो उन संजातीय समूहों से आई थी जिन्हें पहले असभ्य और लुप्त होने की कगार पर समझा गया था।

दूसरा, तृतीय विश्व भर में उपनिवेश मुक्ति की लहर ने उन संजातीय समूहों से प्रति सहानुभूति उत्पन्न की जो आंतरिक उपनिवेश की प्रजा थी। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से उपनिवेश मुक्ति संयुक्त राष्ट्र द्वारा आगे बढ़ाया गया; जब 1960 में एक संकल्प ने यह सिद्धान्त निर्धारित किया कि सभी लोगों को आत्म निर्णय का अधिकार है और इसलिए अपना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। मानव अधिकारों पर अभिसमयों के माध्यम से, 1966 में अल्पसंख्यकों को तदनुसार परन्तु अधिक सीमित सिद्धान्त प्रदान किए गए। वास्तव में, इन्होंने 1970 के इर्द गिर्द संयुक्त राष्ट्र के अंदर पृथक मुद्दे के रूप में उठाएजाने के लिए संजातीय लोगों के प्रश्न का मार्ग प्रशस्त किया।

तीसरा, मानवीय और कल्याण के आधार पर सबसे अधिक स्पष्ट संजातीय समूहों की सहायता करने की आवश्यकता के कारण औद्योगिक और प्रौद्योगिक विकास की गति तेज की गई थी। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, लीग ऑफ नेशन्स के एक अंग ने काफी पहले 1920 के दशक में यह कार्य आरंभ किया था। यह कार्य समाप्ति पर तब आया जब 1957 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने संकल्प 107 पारित किया जिसमें जनजाति और मूलवासी के लोगों को संरक्षण दिया गया था। लक्ष्य सुव्यवसित आत्मसात्करण करना था, जबकि साथ ही परम्परागत उपनिवेशी कानून के अनुसार प्रथागत अधिकारों को मान्यता देते हुए और कुछ सीमा तक वस्तुगत रहन-सहन की दशाएँ सुरक्षित करना आवश्यक था। इन निर्णयों को करने में मूलवासी के लोगों का योगदान उसके अभाव से यह स्पष्ट था। फिर भी, संकल्प समूहों के लिए प्रोत्साहन था जिसने बहुत मामलों में वास्तविक जनसंहार का पर्दा खोला।

मौटे तौर पर कहा जाए तो मूलवासी का संदर्भ लोगों का यह ऐसा विषय था जिसे विश्व भर में निबटाया जाना था। चूँकि यह आंतरिक संजातीय-राजनीतिक परिस्थिति में बदल गया था और राष्ट्र-राज्य के अंदर उनकी स्थिति पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार करना पड़ा। फर्स्ट नेशन्स पीपल ऑफ चर्च, अमेरिका और उत्तरी यूरोप के सामी, दोनों का भिन्न-भिन्न आंतरिक इतिहास था और अपने अपने राष्ट्र-राज्यों से अलग-अलग प्रकार के संबंध थे। उनमें सामान्य क्या था कि 1970 के दशक के दौरान दोनों संजातीय लोगों का अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने में और संजातीय लोगों को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर लाने में सक्रिय थे। प्रारंभ में, यह किसी भी दशा में अभिगृहीत योग्य नहीं समझा गया कि इन समूहों में संजातीय राजनीतिक आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रीय रूप ले सकेगा, चूँकि अधिकांश मूलवासी के लोगों से संबंधित मामला है, उनका संबंध केवल स्थानीय मुद्दों से है जिनका समाधान राष्ट्र-राज्य की सीमा के अंदर ही हो सकता है। इसलिए यह अजीब सा लगता है कि इन मूलवासी के लोगों का संगठनात्मक विकास भी वैसा ही होना चाहिए। फिर भी जो कुछ भी हुआ है, दो अवस्थाओं में हुआ है। पहला, जो निष्फल सिद्ध हुआ, बीसवीं शताब्दी के पहले तीन दशकों तक चलता रहा और दूसरा स्थापना तथा वृद्धि का था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ, यद्यपि 1970 तक इसे गति न मिल सकीं। संयुक्त राज्य

अमेरिका के इंडियनों में संस्थाओं की स्थापना यह दर्शाता है कि सामान्य संजातीय-राजनीतिक आन्दोलन में निरन्तरता बनी रही है और अभी पूर्णतः अस्तित्व में हैं। काफी समय बाद कनाडा में प्रथम राष्ट्र (First Nation) में समानान्तर निकायों का आविर्भाव हुआ परन्तु जब 1970 के लगभग प्रक्रिया आरंभ हुई तो यह तेजी से बढ़ी। स्कैण्डेनेविया के सामी भी इनके बीच में कही पर थे और विकास विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न समय में हो रहा था। यद्यपि 1960 के दशक में लेटिन अमेरिका क्षेत्र में केवल कुछ ही मूलवासी आन्दोलन कही-कही हो रहे थे, परन्तु 1970 के दशक में उन्हें शक्ति मिली और 1980 के दशक तक मूलवासी संगठन स्थानीय और क्षेत्रीय संगठनों से राष्ट्रीय स्तर के संघीय संगठनों तक प्रचुर मात्रा में अस्तित्व में आए, साथ ही सुविकसित अन्तर्राष्ट्रीय लाबियों से उनका सम्बंध हो गया था।

30.4.2 कनाडा

कनाडा के भारतीयों 1970 से पहले संगठनात्मक विकास में असमानता थी परन्तु इसके बाद इसमें अधिक एकरूपता आई। नया पैन इंडियन पहल 1960 में शुरु की गई थी, जब अधिकांश माँगों के लिए शिक्षित शहरी इंडियनों और मेटिस ने राष्ट्रीय इंडियन परिषद (National Indian Council – N I C) की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और राजनीतिक अनुरूपता को प्रोत्साहित करना था। इसलिए संगठन को अपनी स्थापना के समय से ही प्रमुख आंतरिक विभाजन अधिकारों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा। आगे इसे फण्ड एकत्र करने की समस्या का सामना करना पड़ा और अल्प मात्रा में प्रभाव अर्जित कर सका क्योंकि शासन इसे आमतौर पर किसी भी तरीके में इंडियनों का प्रतिनिधिक संस्था नहीं मानता था। सरकार का 1969 का श्वेत पत्र उत्प्रेरक बना गया जिसके अनुसार सभी कनाडावासियों के साथ एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए। यह राष्ट्रीय भारतीय परिषद द्वारा प्रस्तावित नीति के इर्द गिर्द विभिन्न मूलवासी के समूहों को संगठित कर सका।

"स्टेटस इंडियन के क्षेत्रीय निकाय संघीय ढाँचे में एकजुट हो गए और 1969 में हुई बैठक में संगठन ने *राष्ट्रीय इंडियन भाईचारा* (*National Indian Brotherhood – NIB*) के स्वरूप पर निर्णय किया गया। राष्ट्रीय इंडियन भाईचारा पूर्ण रूप से श्वेत पत्र के विरुद्ध था और समान अवसरों के साथ केवल समाज के संबंध में इस विचार का परिणाम केवल उन अधिकारों की अस्वीकृति होगी जो विशेष रूप से "देशीय" थे। सरकार को झुकना पड़ा अब अपने मूलवासी लोगों के लिए कोई अलग नीति नहीं है। तब राष्ट्रीय इंडियन भाईचारा के अध्यक्ष जार्ज मैनुअल ने मूलवासी के लोगों को अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने की पहल करने का यह अवसर मिला। राष्ट्रीय इंडियन भाईचारा ने पूरी जानकारी के साथ जो कुछ भी प्राधिकार विश्व मूलवासी परिषद (World Council of Indigenous Peoples – WICP) के पास थे, उसका उपयोग किया। उदाहरण के लिए, द्वितीय आम सभा ने अपनी बैठक में 1977 में एक संकल्प पारित किया गया जो किसी भी अन्य से अधिक था जिसे कनाडा की राजनीतिक प्रक्रिया में रखी गई हो। आवश्यकता थी, कई स्थानीय ऐसे संगठनों के बदले पैन इंडियन आन्दोलन की। इसे राष्ट्रीय इंडियन भाईचारे ने अपना नाम विद्यमान बदलकर "असेम्बली ऑफ फर्स्ट नेशन्स" से प्राप्त किया गया।

30.4.3 ऑस्ट्रेलिया

1920 के दशक और 1930 के दशक ने ऑस्ट्रेलिया की सरकार पर आदिवासियों की दशा के संबंध में विशेषकर उत्तरी राज्य क्षेत्र में घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों दबावों को देखा। यद्यपि संसद में

मूलवासी के लोगों के लिए कल्याणकारी प्रावधानों के सुधारने के प्रयास किए गए थे परन्तु वे कभी भी जारी नहीं रखे गए। 1960 के दशक के मध्य में एक निर्णायक परिवर्तन हुआ, जब उत्तरी राज्य क्षेत्र के आदिवासियों के समुदायों ने नए तरीके में मूलवासी के अधिकारों के लिए दबाव डालना आरंभ किया। उदाहरण के लिए, अर्नहेम लैण्ड में यिर्रकेला से आदिवासी समुदाय ने अपनी भूमि का और नेव हिल कैटल स्टेशन पर स्वामित्व प्राप्त करने के लिए दावा किया। यिर्रकेला लोगों की लगातार चिन्ता के बावजूद सरकार ने परियोजना पर कार्य पूर्व नियोजित ढंग से जारी रखा। जब यह विफल हुआ तो उन्होंने 1971 में यह माँग करते हुए अधिक उग्र कदम उठाए कि भूमि के संबंध में उनके परम्परागत स्वामित्व को ऑस्ट्रेलियाई कानूनों द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए। मूलवासी भूमि अधिकारों को मान्यता देने से मनाही करने के विरोध में ऑस्ट्रेलिया दिवस 1972 को कैनबरा में संसद भवन के परिसर में बीच छत्तरियाँ और कई टेण्टों को आदिवासी दूतावास घोषित किया गया। इसे संगठित और राष्ट्रीय आदिवासी आन्दोलन के प्रतीक के रूप में देखा गया है।

30.4.4 लेटिन अमेरिका

लेटिन अमेरिका में मूलवासी लेटिन अमेरिका पिछली दो या तीन दशकों में शुरु हुआ, जैसा कि विश्व के मामले में हुआ है। 1960 के दशक में क्षेत्र में केवल कुछ ही मूलवासी आन्दोलन थे। सबसे पहला मूलवासी आन्दोलन इक्वोडोर में 1960 के दशक के प्रारंभ में था। शुआर फेडेरेशन का गठन उपनिवेशकों के अतिक्रमण से भूमि की रक्षा करने और अमेजोनियन पूर्वी इक्वोडोर में इधर उधर बिखरी हुए शुआर समुदायों के हितों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। अन्य लेटिन अमेरिकी देशों में भी बहुत से संगठन अस्तित्व में आए, जब उन्हें यह महसूस हुआ कि उनके समुदाय के अपने हित विशाल कृषक समुदाय के हितों के साथ जुड़े रहने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। ये संगठन न केवल स्थानीय और क्षेत्रीय थे अपितु वे अपनी पहुँच में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बन गए थे। उस समय अस्तित्व में आए कुछ क्षेत्रीय संगठन थेः इंडिजिनस एसोशियेशन ऑफ दी पेरुवियन जंगल (Indigenous Association of the Peruvian Jungle (AIDESP), कोलाम्बिया में रिजीनल इंडिजिनस काउन्सिल ऑफ कौका वैली (Regional Indigenous Council of the Cauca Valley (CRIC), और इंडिजिनस कन्फेडेरेशन ऑफ ईस्टर्न वोलिविया (Indigenous Confderation of Eastern Bolivia (CIDOB)। राष्ट्र व्यापी संगठनों के उदाहरणों में इक्वोडोरियन कॉन्फेडेरेशन ऑफ इंडिजिनस नेशनलीज (Ecuadorian Confederation of Indigenous Nationalities (CNAIE) और बाज़ील में नेशनल यूनियन ऑफ इंडियन (National Union of Indians – UNI) का उल्लेख किया जा सकता है।

30.4.5 संयुक्त राज्य अमेरिका (United States of Amercia - USA)

1944 में स्थापित अधिक स्थायी स्वरूप का पहला पैन-इंडियन संगठन नेशनल कांग्रेस ऑफ अमेरिकन इंडियनस (National Congress of American Indians – NCAI) था। संगठन की प्राथमिकताएँ थींः स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में सुधार, विधायी मुद्दों पर जनमत जुटाना, मूलवासी की संस्कृति और इतिहास की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए जन संचार अभियान। 1944 में 50 जनजाति प्रतिनिधियों से संगठन आरंभ किया गया जो बढ़कर 1978 में 158 हो गए, यद्यपि उस समय तक लगभग 3000 सदस्य भी हो गए थे।

युवा समूह ने 1960 में इंडियन प्रश्नों पर अनुसंधानकर्त्ताओं के सम्मेलन के दौरान सुशिक्षित इंडियनों की नेशनल इंडियन यूथ काउन्सिल (National Indian Youth Council – NIYC) स्थापित की।

यह नेशनल इंडियन यूथ काउन्सिल में मध्यम वर्ग के इंडियनों का आलोचक था, उन्हें उपनिवेश कार्यालय में ब्यूरो ऑफ इंडियन अफेयर्स के साथ बहुत मिलनसार के रूप में देखा गया है। संगठन ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में "नेटिव स्टडीज" पाठ्यक्रम के विकास को प्रोत्साहित किया और उनके उद्देश्यों में मीडिया की रुचि उत्पन्न करवाई। संगठन ने 1973 में मूलवासी लोगों का विश्व व्यापी संगठन बनाने के लिए किए जा रहे कार्य को समर्थन देने का संकल्प किया। 1975 में पोर्ट अल्बेनी में आयोजित सम्मेलन में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल्स (WCIP) स्थापित किया गया। शहरी इंडियनों ने पैन अमेरिकन संगठन स्थापित करने पहल की। इस प्रकार अमेरिकन इंडियन मूवमेंट (American Indian Movement – AIM) का आविर्भाव हुआ। इस संगठन ने भी संचार माध्यम को शीघ्र ही प्रभावित किया। फलस्वरूप विभिन्न युद्धकारी कार्रवाइयाँ की गई, इनमें सबसे अधिक चर्चित हिन्सात्मक संघर्ष 1973 में बाडेण्ड नी (Wounded Knee) था। इस घटना से पहले और उसके बाद संगठन ने माँग की कि शासन को संधियों के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। 1972 में संगठन ने पूरे देश में प्रदर्शन किए और शासन पर अधिक दबाव डालने के लिए 1974 में अपने राजनयिक साधन के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय इंडियन संधि परिषद (International India Treaty Council – IITC) की स्थापना की। 1977 में यह पहला ऐसा संगठन था जिसे गैर सरकारी संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता दी गई थी। कहा जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय इंडियन संधि परिषद मूलवासी के लोगों का अंग था जिसने संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में सबसे अधिक कार्य किया। अन्तर्राष्ट्रीय इंडियन संधि परिषद की शक्ति इस तथ्य में निहित है कि यह शत प्रतिशत अमेरिकी है और इससे इसे अन्य राष्ट्र राज्यों में मूलवासी के लोगों की इच्छाओं और रणनीतियों से कोई संबंध नहीं है। पैन अमेरिकी संगठन सार्वजनिक चर्चाओं और ध्यान आकर्षण के माध्यम से उन मूलवासी के लोगों पर चर्चा के रूप और वाकपटुता दोनों को प्रभावित करते हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उत्पन हुए हैं।

30.5 मूलवासी आंदोलनों के मुख्य मुद्दे

मूलवासी लोगों का मुख्य मुद्दा और माँग है, आत्म निर्णय। इसका राजनीतिक अर्थ है और सबसे अधिक भी जटिल है। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि यह विषय उपनिवेशकों की व्यवस्था की वैधता पर चोट करता है और विरोध किया जाएगा। परन्तु आत्म निरीक्षण को राष्ट्र राज्य से राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं समझा जाना चाहिए। सरकारों ने इस माँग का संज्ञान लिया है और ऐसे दृष्टान्त हुए है जहाँ मूलवासी लोगों के लिए औपचारिक संरचनाएँ मुहैया की गई है जिनसे उन्हें अपना शासन स्वयं करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। हाल ही का एक ऐसा उदाहरण है, कनाडा सरकार द्वारा स्थापित नुनावेट/ ग्रीनलैण्ड और डेनमार्क के बीच स्वीकृत व्यवस्था ऐसा सूचक हो सकता है कि इस मुद्दे पर राय बदल रही है।

एक अन्य ऐसी ही मुद्दा **राजक्षेत्र** का है। मूलवासी के लोगों के लिए भूमि का अर्थ उसकी अपेक्षा से भी बहुत अधिक है जो उसके शाब्दिक अर्थ में निहित है। उपनिवेशी समाजों द्वारा भूमि और सम्पत्ति की चोरी के लिए प्रतिपूर्ति विवाद का विषय है। न्यूजीलैण्ड में बेटाण्गी ट्रिब्यूनल और ऑस्ट्रेलिया में माबो निर्णय की प्रतिक्रियाएँ प्रतिस्पर्धी निष्पक्षता सम्बंधी समस्याओं का संकेत देती है।

मूलवासी के लोगों के पादपों और परम्परागत उपचार प्रथाओं से विकसित औषधियों के लिए **बौद्धिक सम्पदा अधिकारों** से सम्बंधित प्रश्न उठाए गए हैं। सामान्य परिदृश्य यह है कि अनुसंधानकर्त्ता परम्परागत औषधियों का अध्ययन करते हैं और इसके प्रयोग तथा प्रभाविकता की जाँच करते हैं। अनुसंधानकर्त्ता तब औषधि का परिष्करण करते हैं और अनुसंधानकर्त्ता या उसकी कम्पनी को पेटेण्ट

जारी किया जाता है। अधिकांश मामलों में उस जनजाति को कोई प्रतिपूर्ति नहीं दी जाती है, जिसने इसे सुरक्षित रखा और वास्तव में, दवाई की खोज की थी। इसमें सम्मिलित मूलवासी लोगों को प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया का सुधार करने के प्रस्ताव पर हाल ही में चर्चा की गई और विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन द्वारा अस्वीकृत किया गया। यह मुद्दा नहीं छोड़ा जाएगा। उपर्युक्त से सम्बंधित मूलवासियों की परम्परागत भूमि पर स्थित प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर भी नियंत्रण है। इस समय इन संसाधनों का दावा सामान्यतया उपनिवेशी समाज द्वारा किया जाता है जो मूलवासियों की आवश्यकताओं और इच्छाओं को ध्यान में रखे बिना दोहन से फीस या लाभ पाते हैं।

सांस्कृतिक परम्पराओं और भाषाओं का संरक्षण बहुत से उन मूलवासियों के लिए उच्च प्राथमिकता का विषय है जो सामान्यतया उपनिवेश को समाज में अल्पमत में है। अधिकांश ऐसे बहुसंख्यक समाज औपचारिक सरकारी कामकाज में देशी भाषाओं के प्रयोग करने की अनुमति देने में अत्यधिक अनिच्छुक रहते हैं यद्यपि देशीय भाषाओं को देशीय लोगों के प्रयोग के लिए सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृत किए जाने के उदाहरण लिए जा सकते हैं।

30.6 सरकारी प्रतिक्रियाएँ

मूलवासी आन्दोलनों के प्रति सरकारी उपाय और प्रतिक्रियाएँ विभिन्न अवस्थाओं से गुजरे हैं। पहली निष्फल अवस्था थी जब किसी भी मूलवासी प्रयासों को विरोध की अवस्था में कुचल दिया जाता था और इन लोगों के अस्तित्व का कोई संज्ञान नहीं लिया जाता था। दूसरे को स्थापना और विस्तारवादी अवस्था कहा जा सकता है। जब मूलवासी लोगों का आन्दोलन अधिकांशतः 1970 के दशक में जीवित हुआ इसलिए ऐसी विभिन्न सरकारी नीतियों के बावजूद जिनमें यह तर्क दिया था कि मूलवासी लोग विगत के अंग थे, वर्तमान के नहीं, उनकी वापसी हुई है। सरकार की नीति के सरकारी नीति के इस प्रकार के उदाहरण 1949 में न्यू फाउण्डलैण्ड द्वारा किया गया दावा, जब उसने कनाडा का साथ दिया कि न्यू फाउण्ड लैण्ड का कोई मूल "निवासी" नहीं था या कनाडा के प्रधानमंत्री का मत कि यह 'केवल समाज' है, और 1969 का 'श्वेत पत्र'। आज विश्वसनीयता प्राप्त होने पर मूलवासी लोग पैतृक अधिकारों की माँग कर रहे हैं। विभिन्न सरकारों का रवैया भी समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, वे मूलवासी आन्दोलनों की प्रगति को ध्यान में रख रहे हैं।

प्रमुख पहलों में से एक यह है कि विभिन्न सरकारों ने मूलवासी के लोगों के अधिकारों को संवैधानिक मान्यता देने का इरादा किया है। हाल ही में, कुछ लेटिन अमेरिका के देशों ने नया संविधान लागू किया है या विद्यमान संविधानों में संशोधन किए हैं, जो इन लोगों के प्रति शासक वर्ग के रवैये में परिवर्तन प्रतिबिम्बित करता है। ब्राजील में उसके 1988 के नए संविधान में "इंडियन" पर पूरा अध्याय हैं। जबकि मैक्सिको ने सुधार लागू किए हैं। अन्य देशों, जैसे बोलिविया, कोलोम्बिया, इक्वोडोर, निकारागुआ, पेरु, पराग्वे और पनामा ने भी संवैधानिक सुधार या नए संविधान लागू किए हैं। अन्यत्र, कनाडा में उदाहरण के लिए 1982 के संविधान अधिनियम के अनुभाग 35 के माध्यम से "कनाडा के आदिवासी लोगों के विद्यमान आदिवासी और संधि अधिकारों को इसके द्वारा मान्यता दी गई है और पुष्टि की गई है।" अनुभाग 35 भी प्रावधान करता है कि "कनाडा के मूलवासी लोगों" में इंडियन, इन्यूट और मेटिस लोग भी शामिल हैं और कि मूलवासी लोगों के हाल ही के भूमि दावा करारों को "संधियों" के रूप में मान्यता दी जानी हैं। न केवल इतना ही बल्कि 1993 में नुनावट की मान्यता भी सरकार के लिए बहुत बड़ा कदम रहा है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में 1992 का माबो निर्णय प्रमुख भेदन

था। इसने टेरा नुल्लियस की इस अवधारणा को समाप्त कर दिया कि जिसमें खाली, गैर आबादी भूमि पर कोई भी ऐसा व्यक्ति दावा कर सकता है जो इसे आबाद और विकास कर सकता है। दिसम्बर 1993 के "दी नेटिव टाइटिल एक्ट" ने नेटिव टाइटिल के सिद्धान्त को मान्यता देने वाली उच्च न्यायालय के निर्णय के लिए कानूनी ढाँचे का भी प्रावधान किया है। ऑस्ट्रेलिया में संवैधानिक मान्यता इन अधिकारों और प्रस्तावों को शामिल किया जाना अभी विचाराधीन है।

यद्यपि सरकार ने मुख्य कदम उठाए हैं परन्तु इन्हें पर्याप्त नहीं समझा गया है। पर्याप्त सीमा तक ये पहले तीव्र अन्तर्राष्ट्रीय दबाव और जागरूकता के परिणामस्वरूप हैं। इसलिए मूलवासी मुद्दा कुछ वर्षों से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। हाल ही के वर्षों में विश्वव्यापी जागरूकता बढ़ी है। 1982 में स्थापित मूलवासी जनसंख्या पर कार्यकारी दल (WGIP) उसका प्रमाण है। मूलवासी जनसंख्या पर कार्यकारी दल (WGIP) मूलवासी के लोगों के अधिकारों से सम्बद्ध प्रमुख संयुक्त राष्ट्र दल है। उन्हें संजातीय के समुदायों के विरुद्ध किए गए भेदभाव की समस्या का विस्तृत अध्ययन करने के लिए कहा जाता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद के संकल्प के अनुसार जोज और मार्टिनेज कोबो को ऐसे अध्ययन करने के लिए विशेष सम्पर्ककर्त्ता नियुक्त किया गया था। इसने 22 अध्यायों की The study of the Problems of Discrimination against Indigenous Population तैयार की। मूलवासी जनसंख्या पर कार्यकारी दल (WGIP) की मुख्य परियोजना मूलवासी के व्यक्तियों के अधिकारों पर विश्व घोषणा का मसौदा तैयार करना है।

पिछली सरकारों की नीतियों में से किसी भी एक की तीव्र अस्वीकृति का केवल मूलवासी के लोगों के आन्दोलन पुनः प्रारंभ करने के लिए दबाव बनाता है जो अब अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय है।

30.7 सारांश

"मूलवासी लोग" शब्द ऐसे निश्चित क्षेत्र या प्रदेश के मूलवासियों के वंशजों पर लागू होता है जिसपर बलपूर्वक विदेशियों द्वारा कब्जा किया गया हो, जिन्होंने बाद में उनके शासन के माध्यमों को बदल दिया हो और उनका लोकतांत्रिक विकास कम कर दिया हो। फिर भी, मूलवासी लोग अभी भी सांस्कृतिक विशेषताएँ को प्रकट करते हैं और राष्ट्रीय विविधताओं जो उनके चारों ओर से घेरे हुए हैं, उनसे पृथक पद्धति प्रयोग करते हैं।

यह लगभग 1900 की घटना है कि जब मूलवासी लोगों ने पहला संजातीय राजनीतिक पहल शुरु की थी। 1919 में गठित लीग ऑफ नेशन्स अन्तर्राष्ट्रीय संगठन था जिसमें किसी भी द्वारा संजातीय मुद्दा उठाए जाने की आशा थी। छः राष्ट्रों के चीफ डेस्काहेह, एक कायुगा ने पूर्ण स्वशासन के लिए और प्रभुता सम्पन्न राष्ट्र के रूप में इरोक्वाइल की मान्यता की माँग उठाई। तब लीग ऑफ नेशन्स के महासचिव ने 1923 में मामला लिया। 1945 में संयुक्त राष्ट्र के निर्माण ने उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया में संयुक्त राष्ट्र की सक्रिय भूमिका से आशा की किरण मिली। 1957 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने संकल्प 107 पारित किया जिसने जनजाति और मूलवासी लोगों को संरक्षण प्रदान किया। इन निर्णयों को करने में मूलवासी लोगों का योगदान कभी कभी उसकी अनुपस्थिति द्वारा स्पष्ट था। यद्यपि 1960 के दशक में मूलवासी के लोगों का आन्दोलन बहुत कम था परन्तु 1970 के दशक में उसने शक्ति प्राप्त की और 1990 के दशक तक मूलवासी आन्दोलन स्थानीय और प्रादेशिक संगठनों से राष्ट्रीय स्तर के संघीय संगठनों की सीमा तक फैल गया, इनका सुविकसित अन्तर्राष्ट्रीय लॉबी से सम्पर्क था। इस किस्म की लॉबी बहुत से देशों में हुई, उन्होंने मूलवासी के लोगों से संबंधित प्रमुख

मुद्दों, जैसे आत्म निर्णय, राज्य क्षेत्र, बौद्धिक सम्पदा अधिकार, सांस्कृतिक परम्पराओं और भाषा संरक्षण को उठाते थे। यद्यपि विभिन्न सरकारों द्वारा किए गए प्रमुख उपाय, जैसे कनाडा में नुनावेट का निर्माण या ऑस्ट्रेलिया में माबो निर्णय मूलवासी की सरकारों की भलाई के लिए थे, परन्तु यह पर्याप्त सिद्ध नहीं हुआ है। कुछ सीमा तक ये कदम भारी अन्तर्राष्ट्रीय दबाव और जागरूकता के परिणाम रहे हैं। इस प्रकार मूलवासी आन्दोलनों ने राष्ट्रीय स्तर पर और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी उपस्थिति महसूस करवाई और ये उनके अधिकारों के लिए उनकी लड़ाई में सहायक होंगे।

30.8 अभ्यास प्रश्न

1) आप "मूलवासी के लोगों" की परिभाषा कैसे करेंगे?

2) विश्व में किसी भी क्षेत्र से तीन मूलवासी के जन समुदायों की पहचान करें। आप उन्हें "मूलवासी" के लोग क्यों कहते हैं?

3) मूलवासी आन्दोलन ने प्रारंभिक अवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय ध्यान कैसे प्राप्त किया।

4) संक्षेप में विवेचन कीजिए कि जनजाति आन्दोलन विश्व के विभिन्न भागों में कैसे फैला है?

5) स्पष्ट कीजिए, मूल निवासी लोग अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई में क्या माँग कर रहे हैं? विभिन्न देशों ने इन माँगों के लिए क्या प्रतिक्रिया दिखाई हैं?